

झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक- ..... फरवरी, 2019

संख्या- 03/प्रोन्नति-02-01/2019 का.- ...../ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०- 3747 दिनांक 23.04.2015 द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2015" के नियम-29 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव कोटि से विशेष सचिव कोटि में प्रोन्नति हेतु कालावधि की गणना के संबंध में सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है :-

"विशेष सचिव कोटि के पद रिक्त रहने पर अपर सचिव कोटि में कार्यरत पदाधिकारी जिनके द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि तथा अपर सचिव कोटि में (दोनों पदों पर व्यतीत कुल कालावधि को मिलाकर) कुल दो वर्ष की निर्धारित कालावधि पूर्ण कर ली गई हो उन्हें विशेष सचिव कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जा सकती है।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(के० के० खण्डेलवाल)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- 03/प्रोन्नति-02-01/2019 का० 1411/...../ राँची, दिनांक- ..... 25 फरवरी, 2019  
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।